न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2018 (डूंगरपुर आर्डर)

1. श्री देवा पिता बदीया भगोरा मीणा निवासी सरोदा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्रीमती गमीरी पति देवा भगोरा मीणा निवासी सरोदा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कुबेर पिता लवजी पाटीदार निवासी सरोदा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्री नाथू पिता लवजी पाटीदार निवासी सरोदा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
3. श्री डायालाल पिता लवजी पाटीदार निवासी सरोदा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
4. श्रीमान् तहसीलदार लेण्डा होल्डर तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर
डूंगरपुर दिनांक 28–03–2018 प्रकरण
संख्या 03/2017

———/———

उपस्थित बवक्त बहस :–

1– श्री सुन्दरलरल परमार अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3
3– राजकीय पैरोकार

——————/——————

आदेश **दिनांक 31–10–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 3 द्वारा प्रार्थी के रूप में अपीलान्ट विपक्षी के विरूद्ध

नियम–14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम–1970 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम सरोदा के आराजी नंबर 2484 रकबा 2 बीघा भूमि में अपीलान्ट विपक्षी संख्या 1 व 2 को अपने प्रभाव से तथा तथ्यों को छिपा कर दिनांक 22–11–2010 को आवंटन किया गया है। अपीलान्ट विपक्षी पात्र नहीं है। उसका कब्जा नहीं है। भूमि रास्ते की है, जो इसी काम में आ रही है। आवंटन सलाहकार समिति ने विपक्षी संख्या–1 की पुत्रवधु सरपंच के रूप में आवंटन सलाहकार समिति में शामिल रह कर अपने प्रभाव से त्रुटिपूर्ण आवंटन करवाया है।

अपीलान्ट विपक्षी आवंटी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया तथा आवंटन दिनांक को 33 व्यक्तियों को आवंटन होना तथा भूमि रास्ता नहीं होना, सरपंच मात्र हस्ताक्षर करने वाली होती है, वर्णित किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 28–3–2018 से आवेंदन स्वीकार करते हुए अपीलान्ट विपक्षी का आवंटन खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–3–2018 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–5–2018 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 3 की और से अधिवक्ता श्री प्रवीण शुक्ला तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 सरकार की और से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए।

अधिनथ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि आवंटन विधिवत रूप से कब्जे की जांच की जाकर किया गया। रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा नहीं है। अपीलान्ट अनुसूचिज जनजाति के भूमिहीन काश्तकार है।

उन्होंने भूमि का आबादान किया है। सरपंच आवंटन समिति में सिर्फ हस्ताक्षर करने वाली ऑथोरिटी होती है, भूमि रास्ते की नहीं है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि आवंटन सलाहकार समिति के लिए आवंटन नियम 1970 के नियम 13(1) के अनुसार निम्न प्रावधान वर्णित है :–

"राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 13(1) में भी अंकित है कि आवंटन सलाहकार समिति का कोई सदस्य किसी आवेदन में संबंधी होने या अन्यथा रूप में हित रखता है तो वह सदस्य उस समिति की मीटिंग में भाग नहीं लेगा"।

उपरोक्तानुसार आवंटी अपीलान्ट की पुत्रवधु ने आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में उक्त आवंटन प्रक्रिया में भाग लिया है, जो स्पष्टतया नियम 13(1) का उल्लंघन है तथा नियमों के उल्लंघन में किये गये किसी भी आवंटन को विधिक आवंटन नहीं कहा जा सकता एवं तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुआख्यापित रूप से अपीलान्ट विपक्षी का आवंटन खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20–3–2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 31–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर